न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/224 **दायरा दिनांक : 20.12.2022**

उनवान

1– तेजसिंह आयु वर्ष आत्मज श्री मांगीलाल, जाति राजपूत, निवासी ग्राम भड़का, तहसील डग, जिला झालावाड़
2– श्रीमती मानकंवर पत्नि श्री शंकरसिंह (पुत्री श्री मांगीलाल) जाति राजपूत, निवासी भेरूखेड़ी, तहसील डग, जिला झालावाड़
3– देवीसिंह आयु 55 वर्ष आत्मज श्री पूरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम लसूडिया तहसील गंगधार (डग), जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– श्रीमती मांगूबाई पुत्री पूरसिंह जी पत्नि चन्दर सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम मन्दिरपुर, तहसील डग, जिला झालावाड़
2– श्रीमती मुन्नाबाई पुत्री पूरसिंह पत्नि पूरसिंह, जाति राजपूत, निवासिनी रातीखेड़ी, तहसील चौमहला, जिला झालावाड़
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री तेजमल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 27.09.2023**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 00096/दावा/2018 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.03.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम जामुनिया, पटवार मण्डल देवगढ़, तहसील डग की जमाबंदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 133 में खसरा नम्बर 681 रकबा 6.00 बीघा, खसरा नम्बर 713 रकबा 4.00 बीघा, खसरा नम्बर 714 रकबा 1.14 बीघा, खसरा नम्बर 731 रकबा 4.11 बीघा, खसरा नम्बर 740 रकबा 2.01 बीघा व खसरा नम्बर 742 रकबा 4.01 बीघा कुल 6 किता कुल रकबा 22.07 बीघा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी की पुश्तैनी आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के आदेश दिनांक 12.03.2022 के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम जामुनिया के खाता संख्या 133 में कुल 6 किता कुल रकबा 22.07 बीघा आराजी में देवीसिंह के साथ वादिया मांगूबाई पुत्री पूरसिंह, जाति राजपूत, निवासी लसुडिया को 1/3 व वादिया

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मुन्नाबाई पुत्री पूरसिंह, जाति राजपूत, निवासी लसुडिया को 1/3 हिस्से पर खातेदार कृषक घोषित किया है तथा उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी के मध्य राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के तहत अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा एवं खाता पृथक पृथक किये जाने के आदेश दिये। बैंक के रहनशुदा भूमि प्रतिवादी के यथावत रहेगी। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.03.2022 अधीनस्थ न्यायालय विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम जामुनिया, तहसील डग की खसरा नम्बर 681, 713, 714, 731, 740 व 742 कुल 6 किता कुल रकबा 22.07 बीघा में रेस्पोडेंट का हिस्सा 2/3 घोषित करने में त्रुटि की है।

4 अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट कम 1 व 2 को पक्षकार बनाये बिना ही तथा अपीलांट कम 3 को सूचना दिये बिना ही एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय एवं डिक्री पारित करने में त्रुटि की है।

5 अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने अपनी बहन मृतक सुगना बाई के वारिसान को पक्षकार बनाये बिना ही वाद प्रस्तुत कर दिया था, जो कि आवश्यक पक्षकार के अभाव में निरस्तनीय था।

6 अपीलांट कम 1 व 2 मृतक सुगना बाई के वारिस है, जिनका स्व0 पूरसिंह जी की सम्पत्ति में रेस्पोडेंट के समान ही हक व अधिकार है। अपीलांट कम 1 व 2 स्व0 पूर सिंह जी की सम्पत्ति में 1/4 के वारिस हैं।

7 अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि पत्रावली पर अपीलांट कम 3 की रजिस्टर्ड डाक से सूचना देने का कोई प्रमाण नहीं है, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट कम 3 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है।

8 अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि की है।

9 अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दि्या कि स्व0 पूर सिंह जी की मृत्यु 50 वर्ष पूर्व हो चुकी थी, और उनके जीवनकाल में ही वह उनकी सम्पत्ति अपीलांट कम 1 को दे गये थे, ऐसी स्थिति में इतने वर्षों बाद वादीगण का वाद करना सर्वथा दुर्भावनापूर्ण है।

10 अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2022 निरस्त की जावे एवं प्रकरण में अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णित करने का निर्देश प्रदान किया जावे।

11 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 05.12.2022 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

12 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

(रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

13. अभिभाषक अपीलांट द्वारा दिनांक 14.12.2022 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी में अंकित किया कि प्रार्थी कम 1 व 2 मृतक पूरसिंह की पुत्री सुगना बाई के वारिसान है और पूरसिंह के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगधार में वादीगण ने जानबूझकर इस तथ्य को छिपाते हुए उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है। जबकि प्रार्थीगण का पूर सिंह का वारिस होने से उसकी सम्पत्ति में हित निहित है, का पेश किया।

14 अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी पी सी प्रार्थना पत्र पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः न्यायहित में धारा 96 सी पी सी स्वीकार किया जाता है।

15 हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया ।

16 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

17 बहस उभयपक्ष सुनी गई, प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.03.2022 द्वारा वादी रेस्पोडेंट द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी में वादीगण 1 व 2 को 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित करते हुए वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी के मध्य राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के तहत अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा एवं खाता पृथक–पृथक किये जाने का आदेश देते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की तथा तहसीलदार, गंगधार को बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेश जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट कम 1 व 2 को पक्षकार बनाये बिना ही तथा अपीलांट कम 3 को सूचना दिये बिना ही एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय एवं डिक्री पारित करने में त्रुटि की है। वादीगण ने अपनी बहिन मृतक सुगना बाई के वारिसान अपीलांट नं. 1 व 2 को पक्षकार बनाये बिना ही वाद प्रस्तुत कर दिया, जो आवश्यक पक्षकारान के अभाव में निरस्तनीय था। अपीलांट कम 1 द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि मेरी मॉ सुगना बाई थी तथा श्रीमती मांगू बाई व श्रीमती मुन्ना बाई मेरी सगी मासी है। पूर सिंह जी मेरे नाना थे, उनके तीन लड़कियॉ सुगना बाई, मांगू बाई व मुन्ना बाई व एक लड़का देवी सिंह है। सुगना बाई पूर्व में ही मर चुकी थी। मेरे नाना के कुल 4 संताने हैं। इसी कम में रेस्पोडेंट कम 2 द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि मेरे पिता जी श्री पूरसिंह जी के तीन पुत्रियां मांगूबाई, सुगना बाई एवं मुन्नाबाई एवं पुत्र देवीसिंह है, जिनमें से सुगना बाई का स्वर्गवास नाबालिग अवस्था में ही हो गया था। उनके कोई संतान या विधिक कायम मुकाम नहीं है। इस प्रकार अपीलांट कम 1 व रेस्पोडेंट कम 2 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों से यह तो स्पष्ट होता है कि सुगना बाई श्री पूरसिंह पुत्र केसरी सिंह की पुत्री थी, परन्तु अपीलांट कम 1 व 2 सुगना बाई

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

के विधिक वारिसान है या नहीं यह स्पष्ट नहीं होता है क्योंकि इस कम में अपीलांट कम 1 व रेस्पोडेंट कम 2 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के कथन विरोधाभासी होने से स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट कम 1 व 2 सुगना बाई के विधिक वारिसान हैं अथवा नहीं तथा उनका वादग्रस्त आराजी में उनका हिस्सा है अथवा नहीं, इसका निर्धारण अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई तथा जवाब प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए, साक्ष्य अपीलांट व रेस्पोडेंट लेखबद्ध करते हुए ही निर्धारित किया जा सकता है।

18. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार जिला झालावाड़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.03.2022 निरस्त किये जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, गंगधार को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगधार के न्यायालय में दिनांक 21.11.2023 को उपस्थित होवे।

19 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/09/2023

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा